बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संख्या-11/आ०4-107/2024- 1654 पटना, दिनांक- 01/8/25

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया के ज्ञापांक-1105, दिनांक-15.04.2024 द्वारा सूचित किया गया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी पश्चिम चम्पारण, बेतिया के निदेशानुसार श्री नितीश कुमार, कनीय अभियंता(संविदा), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया, प्रशाखा-चनपटिया को लोक सभा चुनाव 2024 को देखते हुए प्रशाखा अन्तर्गत CPF के आवासन हेतु चिन्हित स्थलो पर पेयजल, शौचालय एवं स्नानागार से संबंधित कार्य कराने का निदेश दिया गया था। साथ ही उक्त प्रशाखा में MVS अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो से संबंधित O&M विपत्र तैयार करने हेतु कई बार उन्हें निदेशित भी किया गया था। परन्तु श्री कुमार द्वारा संवेदकों के कार्यो का विपत्र इत्यादि भी तैयार नहीं किया गया।

02. पुनः कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया के पत्रांक-3313, दिनांक-13.11.2024 द्वारा श्री कुमार के क्रियाकलापों/कार्यशैली में सुधार नहीं होने के साथ-साथ पदस्थापित कार्यक्षेत्र से बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार छः माह से अधिक अनुपस्थित रहने, मोबाईल बंद रखने, सरकारी कार्यो के निष्पादन में अभिरूचि नहीं लेने एवं जलापूर्त्ति कार्यो से संबंधित संवेदको को विपत्र के साथ स्थल निरीक्षण संबंधी प्रतिवेदन/जानकारी इत्यादि नहीं होने का उल्लेख करते हुए उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।

03. कार्यपालक अभियंता से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री कुमार से विभागीय पत्रांक-1079, दिनांक-06.09.2024, विभागीय पत्रांक-1634, दिनांक-14.11.2024 एवं विभागीय पत्रांक-427, दिनांक-13.02.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जो अब तक अप्राप्त है।

04. श्री कुमार का उपर्युक्त कृत्य उनके कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, शिथिलता एवं विभागीय निदेश की अवहेलना का द्योतक है।

05. वर्णित परिप्रेक्ष्य में मामले की समीक्षा की गयी एवं समीक्षा के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-1003, दिनांक-22.01.2021 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में श्री कुमार से किये गए एकरारनामा के शर्त्तो के अनुरूप उन्हें एक माह का पारिश्रमिक के समतुल्य राशि का भुगतान कर एकरारनामा को रद्द करते हुए उनकी संविदा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

क्रमशः

06. वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरांत श्री नितीश कुमार, कनीय अभियंता(संविदा), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया, प्रशाखा- चनपटिया को अभिकथित आरोप के लिए उनसे की गयी एकरारनामा की कंडिका-07 एवं 08 के आलोक में दिनांक-01.08.2025 के पूर्वाह्न से उनकी संविदा समाप्त की जाती है।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक-11/आ०4-107/2024- 1654 पटना, दिनांक- 1/8/25

प्रतिलिपिः-जिला कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक-11/आ०4-107/2024- 1654 पटना, दिनांक- 1/8/5

प्रतिलिपिः-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र/अधीक्षण अभियंता, मोतिहारी अंचल/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/श्री नितीश कुमार, कनीय अभियंता(संविदा), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया, प्रशाखा-चनपटिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया को निदेशित किया जाता है कि अपने स्तर से भी इस आदेश की प्रति श्री कुमार को हस्तगत कराते हुए तामिला प्रतिवेदन अविलंब मुख्यालय को समर्पित करना सुनिश्चित करें।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

01-8-25